न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —01/2018 अपील आर्म्स (RCMS/2018/00041)
पंजीयन दिनांक —21.03.2018
निर्णय दिनांक —14.01.2019

1. श्री वन्नासिंह पुत्र श्री मालसिंह, सेवानिवृत भारतीय सैनिक, निवासी टोगी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—
1. श्री सत्यप्रकाश व्यास — वकील अपीलान्ट
2. श्री योगेन्द्र दशोरा — राजकीय अधिवक्ता

अपील अन्तर्गत धारा—18 आयुध अधिनियम विरुद्ध जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्दआदेश क्रमांक एफ/21/11(07)श.ला./न्याय/2016/10245 से 10247 दिनांक 28.11.2017

निर्णय

दिनांक 14.01.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा—18 आयुध अधिनियम विरुद्ध जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द आदेश क्रमांक एफ/21/11(07)श.ला./न्याय/2016/10245 से 10247 दिनांक 28.11.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रस्तुत अपीलीय प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री वन्नासिंह पुत्र श्री मालसिंह द्वारा अपनी, अपने परिवार एवं कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद समक्ष 12 बोर गन हेतु आयुध अधिनियम के नियम 51 के तहत शस्त्र अनुज्ञा हेतु आवेदन पेश किया। अपीलार्थी ने आवेदन के लिए आवश्यक सभी नियमों का पालन करते हुए प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किए।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक एफ/21/11(07)श.ला./न्याय/2016/10245 से 10247 दिनांक 28.11.2017 से आवेदक की उम्र 65 वर्ष से ऊपर होकर हार्ट पेसेंट होने से 12 बोर गन लाईसेंस दिया जाना अनुचित माना और आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा आदेश में यह भी वर्णित किया गया कि आवेदक यदि चाहे तो मकानात एवं जानवरों की सुरक्षा हेतु एम.एल.गन के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीम को आवेदन कर नियमानुसार लाईसेंस प्राप्त कर सकता है। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द की पत्रावली मय टिप्पणी मंगवाई गयी। प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सुचित किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में बताया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (विशेष शाखा) जोन, उदयपुर, उप वन सरंक्षक, राजसमन्द एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें अपीलार्थी को आत्म रक्षार्थ लाईसेंस जारी करने की अनुशंषा की। फिर भी जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा आवेदन खारिज करने का युक्तियुक्त एवं विधिक कारण का उल्लेख आदेश में नहीं किया और आवेदन खारिज कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द ने पुरी कार्यवाही में यह कहीं नहीं माना है कि अपीलार्थी को शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, दिनांक 01.09.2017 के अपने ही पत्र में अपीलार्थी के शस्त्र की आवश्यकता को माना है। समस्त रिपोर्टस् जो शस्त्र चाहने हेतु वांछनीय है, वे सभी रिपोर्टस् अपीलार्थी के पक्ष की होते हुए भी उसे लाईसेंस न दिये जाने का कोई विधिक कारण नजर नहीं आता। अपीलार्थी को मुख्यतः सुरक्षा हेतु यह शस्त्र आवश्यक है, उसके खेतों में चोरी के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा अपीलार्थी को हार्ट पेसेंट बताकर आवेदन निरस्त किया गया, अपीलार्थी की कथित बीमारी को कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। अपीलार्थी एक भूतपूर्व सैनिक है, जो नियमित रूप से व्यायाम करने वाला व्यक्ति होकर कभी भी हार्ट पेसेंट नहीं रहा है। आयुध अधिनियम में अधिकतम आयु सीमा के आधार पर कहीं पर भी लाईसेंस न देने का प्रावधान नहीं हे। सिर्फ आवेदनकर्ता वयस्क हो अवयस्क नहीं हो। पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई देरी का हार्ट पेसेंट होने का मनमाना कारण बताया दिया गया जबकि आज दिन तक अपीलार्थी इस बीमारी से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ग्रस्त नहीं हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा इस तथ्य की टिप्पणी अपने निर्णय में करने से पूर्व अपीलार्थी को नहीं सुना गया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित जाकर वैधानिक त्रुटि है। ऐसी स्थिति मे निर्णय की जानकारी नहीं होने से अपील पेश करने में विलम्ब हुआ जिसे क्षमा किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम भी प्रस्तुत किया। अन्त में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, राजसमन्द का आदेश निरस्त कर प्रार्थी के नाम 12 बोर गन लाईसेंस जारी करने के आदेश प्रदान कराने बाबत अनुरोध किया है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी श्री वन्नासिंह की उम्र 65 वर्ष से ऊपर होकर आवेदक हर्ट पेसेंट होने से 12 बोर गन से स्वयं को भी खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में आवेदक का 12 बोर गन के शस्त्र अनुज्ञापत्र संबंधी आवेदन पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा खारिज किया गया, जो निर्णय विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (विशेष शाखा) जोन, उदयपुर, उप वन सरंक्षक, राजसमन्द एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें अपीलार्थी को आत्म रक्षार्थ लाईसेंस जारी करने की अनुशंषा की एवं शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने बाबत अपनी अनापत्ति दी गई। आवेदक भूतपुर्व सैनिक होकर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होना नहीं पाया गया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से प्राप्त पत्रावली पर मेडिकल ऑफिसर, ईसीएचसी पॉली क्लीनिक, राजसमन्द द्वारा अपीलार्थी के स्वस्थ होने के सम्बन्ध में जारी किया गया प्ररूप–घ–3 में चिकित्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध है। आदेश दिनांक 28.11.2017 पारित करने से पूर्व जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा सम्बन्धित विभागों से प्राप्त रिपोर्ट, चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति जारी करने पर विचार किया जाना प्रतीत नहीं होता है, जिससे प्रकरण में नये सिरे से पुनः जांच कर अथवा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया जाना न्यायोचित होगा। ऐसी स्थिति में हम प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

Web Copy - Not Official

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द का आदेश दिनांक 28.11.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्दको प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर पुनः विचार कर, विभिन्न रिपोर्ट, गृह विभाग के निर्देशों का अवलोकन कर, इनकी पात्रता अनुसार स्वीकृत कर नियमानुसार अनुज्ञा पत्र जारी करने की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official